

# अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म०प्र०)

सं.गा.क/अकादमिक/अ०म०/२०२१/१०३२

रीवा, दिनांक ५.८.२०२१

## अधिसूचना

आदेशानुसार, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ की धारा २८ के अन्तर्गत समाजविज्ञान संकाय अन्तर्गत मनोविज्ञान के अध्ययन मण्डल का गठन निम्नलिखित रूप से किया जाता है। अधिनियम की धारा २८(४) के अन्तर्गत अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल की कार्यावधि इस अधिसूचना प्रसारण दिनांक से तीन वर्ष की होगी :-

## मनोविज्ञान अध्ययन मण्डल


अधिनियम	अधिसूचना	संख्या	नाम
२८(२) एक	१.	१.	प्रो० (श्रीमती) अंजली श्रीवास्तव, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, मनोविज्ञान विभाग, अ०प्र० सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म०प्र०)
२८(२) दो	१.	१.	डॉ० हरिगोविन्दराम त्रिपाठी, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, मनोविज्ञान विभाग, शास० कन्या महाविद्यालय, रीवा (म०प्र०)
	२.	२.	रिक्त
२८(२) तीन	१.	१.	रिक्त
२८(२) चार	१.	१.	प्रो० शैलेन्द्र प्रताप, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, मनोविज्ञान विभाग, शास० दिवेकानंद महाविद्यालय, मैहर, सतना (म०प्र०)
	२.	२.	रिक्त
२८(२) पाँच	१.	१.	प्रो० दिनेश नागर, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, मनोविज्ञान, बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल (म०प्र०)
	२.	२.	प्रो० तारा सिंह, आचार्य, मनोविज्ञान, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी (उ०प्र०)

अधिनियम २८(३) के अन्तर्गत प्रो० (श्रीमती) अंजली श्रीवास्तव को मनोविज्ञान अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नाम निर्देशित किया जाता है।

  
कुलसचिव ५.८.२१

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

१. कुलाधिपति के प्रमुख सचिव, राजभवन भोपाल (म०प्र०)
२. आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल (म०प्र०)
३. अध्ययन मण्डल के समस्त सदस्यगण।
४. संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य।
५. संकायाध्यक्ष, समाजविज्ञान संकाय।
६. कुलसचिव, मध्यप्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय।
७. निर्देशक, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमिक रविन्द्रनाथ ठाकुर मार्ग, भोपाल (म०प्र०)
८. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक

  
सहायक कुलसचिव (अकादमिक)